

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 1114/14

संस्थित दिनांक 24.11.14

फा.नंबर-234503009092014

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

कैलाश पिता भैयालाल राउत, उम्र-40 साल,

निवासी ग्राम मदनपुर थाना वारासिवनी जिला बालाघाट।आरोपी

::निर्णय::

दिनांक 13/01/2018 को घोषित

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 08.09.2014 को समय 3:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर 15 कमलनगर में लोकमार्ग पर नारायण बस क्रमांक एम.पी.50पी.0293 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आहत पारवंताबाई के बांये हाथ में चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 08.09.2014 को उकवा से बस क्रमांक एम.पी.ज0पी.0293 में बैठकर बैहर अपने घर आ रही थी कि तभी बैहर कमलनगर के पास बस को रोकने के लिए चालक को आवाज देकर रोकने को कहा, तभी आरोपी चालक द्वारा तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से बस का ब्रेक मार दिया, जिससे फरियादी बस के अंदर लोहे की सीट से टकराने से हाथ में गंभीर आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा-279, 338 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर छोड़ा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 125/14 तैयार

कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

04— प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

(1) क्या आरोपी ने उसने दिनांक 08.09.2014 को समय 3:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर 15 कमलनगर में लोकमार्ग पर नारायण कस कमांक एम.पी.50पी.0293 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत पारवंताबाई के बांये हाथ में चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

::सकारण व निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

नोट:—साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी पारवंताबाई अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपी कैलाश राउत को जानती है। घटना दिनांक 08.09.2014 को दोपहर के समय की है। वह नारायण बस में बैठकर समनापुर से बैहर अपने घर आ रही थी। उसे घटना पुरानी होने के कारण बस का नम्बर याद नहीं है। वह कमलनगर पहुँचने वाली ही थी कि वह निकलने के लिए जैसे खड़ी हुई वैसे ही चालक ने बस को तेज गति से चलाकर ब्रेक लगाया, जिससे वह सीट से टकराने से उसका बांया हाथ टूटकर पीछे तरफ मुड़ गया। उसका ईलाज बैहर अस्पताल में तथा उसके उपरांत बालाघाट शासकीय अस्पताल में हुआ था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्र.पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था। उसकी निशानदेही पर

मौका-नक्शा प्र.पी04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को बस का ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चलाकर ब्रेक लगा दिया था, जिससे वह लड़-खड़ाकर गिर गयी थी और हाथ में चोट आयी थी उसने उक्त बात रिपोर्ट लिखाते समय बता दी थी तथा उस नारायण बस का नम्बर एम.पी. 50/पी.0293 था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी05 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा कथन देना व्यक्त किया।

06— साक्षी पारवंताबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह उकवा समनापुर प्राथमिक शाला में शिक्षक हैं, बैहर कमलनगर से उकवा समनापुर रोज बस से आना जाना करती हैं, वह रोज सुबह दस बजे स्कूल जाती हैं और प्रतिदिन वह सवा चार-साढ़े चार बजे समनापुर से बस में आती हैं। साक्षी के अनुसार उस दिन वह जल्दी आ गयी थी। वह दोपहर पौने दो बजे समनापुर से बैठकर बैहर आ रही थी। साक्षी के अनुसार ढाई बजे घटना हुई थी। वह घटना के दिन 02 से 4:30 बजे तक की छुट्टी लेकर आयी थी। उसने प्रकरण में छुट्टी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह घटना के दिन दो बजे स्कूल से नहीं साढ़े चार बजे स्कूल से आयी थी, इस कारण उसने प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं की है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि बस क्रमांक एम.पी50/पी0293 में उस दिन पहली बार बैठकर आयी थी। साक्षी के अनुसार पहली बार नहीं वह नारायण बस में कई बार बैठकर आती हैं। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी कैलाश राउत को घटना के दिन से ही जानती हैं। साक्षी के अनुसार पहले से ही जानती हैं। यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन बस में कमलनगर वाले नाके के पास कंडेक्टर ने आवाज दिया था कि कमलनगर वाले उतरिये।

07— साक्षी पारवंताबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उस समय वह अपनी सीट छोड़कर खड़ी हुई थी, वह जैसे खड़ी हुई वह सीट से टकरा गई। साक्षी के अनुसार चालक ने ब्रेक मारा था। यह स्वीकार किया है कि चालक घटना के दिन सामान्तः बस रोकने के लिए ही ब्रेक मारता था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय वह धोखे से बांये हाथ के बल से सीट पर से टकरा गई थी, घटना के समय वह खुद लापरवाहीपूर्वक खड़ी थी, इस कारण सीट से टकरा गयी थी। यह ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि बालाघाट से आते समय गाडरपुल से कमलनगर गेट अर्थात घटनास्थल तक घाटी है, घटना के दिन घटनास्थल पर घटना के समय आरोपी चालक सावधानीपूर्वक वाहन चला रहा था, साक्षी ने कहा कि यदि चालक सावधानीपूर्वक चलाता तो घटना क्यों घटती। उसने प्र.पी.03 एवं 04 में हस्ताक्षर घटनास्थल पर की थी। वह प्र.पी.04 पर हस्ताक्षर करते समय पढ़कर देखी थी। उसके कथन पुलिस वालों ने दिनांक 09 को लिये थे और उक्त दिनांक को ही प्र.पी.04 पर हस्ताक्षर की थी। यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में समस्त कार्यवाही पुलिस ने 09 तारीख को ही की थी। यह अस्वीकार किया है कि वह लापरवाहीपूर्वक बस की सीट में टकरायी और उक्त वाहन से क्लेम लेने के लिए आरोपी के विरुद्ध झूठा रिपोर्ट की है।

08— साक्षी अजहर खान अ.सा.01 ने कहा है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता है। वह आहत पारवंताबाई को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व दोपहर दो बजे की है। वह नारायण बस में सामने बैठा हुआ था, जिसका नंबर 0293 है। वह बस में परसाटोला से बैहर की तरफ आ रहा था। आहत पारवंताबाई भी उक्त बस में बैठी हुई थी। बस स्टेण्ड पर आहत द्वारा आवाज करने पर यह पता लगा कि उसका हाथ फ्रेक्चर हुआ है। वह यह नहीं बता सकता कि घटना कैसे कारित हुई, क्योंकि वह बस में आगे बैठा हुआ था तथा आहत पीछे बैठी हुई थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं

दिया था। पुलिसवालों ने उसके समक्ष आरोपी से बस क्रमांक एम.पी.50पी.0293 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09— साक्षी अजहर खान अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 08.09.2014 के दोपहर की है, आहत पार्वताबाई ने बताया था कि बस आरोपी चालक द्वारा बस को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर अचानक ब्रेक मारने से लोहे की सीट से वह टकरा गई, टकराने से उसके बांये हाथ में गंभीर चोटें आयी। उसने पुलिस को प्र.पी.02 का बयान "मैं उक्त पतेचाहता हूँ।" नहीं दिया था, पुलिस वालों ने कैसे लिख लिया उसे मालूम नहीं। यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.01 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था तथा आरोपी से उसके समक्ष पुलिस ने प्र.पी.01 में उल्लेखित बस मय कागजात के जप्त नहीं किये थे।

10— साक्षी थानसिंह कोराम अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2014 में दिन के लगभग एक बजे के आसपास कमलनगर बैहर की है। वह नारायण बस में बैठकर उकवा से बैहर आ रहा था। उक्त बस में पार्वताबाई भी बैठी थी। कमलनगर के पास पार्वताबाई बस से उतरने के लिए खड़ी हुई थी, तभी ड्रायवर ने बस में अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पार्वताबाई गिर गई और उसे हाथ में चोट आयी थी। इसके बाद पार्वताबाई को ईलाज हेतु बैहर अस्पताल लाया गया था। उक्त घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय बस ड्रायवर कैलाश राउत द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके

से चलाकर अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे बस में बैठी पार्वताबाई को चोट लगी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.06 ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा कथन देने से इंकार किया। यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

11— साक्षी थानसिंह कोरम अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय ड्रायवर बस को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक नहीं चला रहा था, घटना ड्रायवर की गलती से नहीं हुई। साक्षी के अनुसार बस के सामने अचानक गाय आ गयी थी, जिसके कारण ड्रायवर ने ब्रेक लगाया और पार्वताबाई गिर गई, घटना के संबंध में पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, उसने पुलिस को ड्रायवर द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक खरतनाक तरीके से चलाकर अचानक ब्रेक मारने वाली बात नहीं बतायी थी तथा घटना संयोगवश गाय के अचानक सामने आ जाने के कारण हुई थी, जिसमें ड्रायवर की कोई गलती नहीं थी।

12— डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.04 ने कहा है कि दिनांक 08.09.2014 को वह सी.एच.सी बैहर में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रधान आरक्षक महेश कर्मांक 751 थाना बैहर द्वारा श्रीमती पारवन्ताबाई का परीक्षण किया था, जिसमें निम्न चोटें पाई थी। एक मुंदी हुई चोट विकृति लिये हुए लाल-नीले रंग की बाईं भुजा पर थी। मरीज पूर्णतः होश में था। उसकी नाड़ी की गति 120 प्रति मिनट है। रक्तचाप 140/90 मि.मी. ऑफ मरकरी है। शरीर के अन्य तंत्र सामान्य है। उसके मतानुसार मरीज को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बांये भुजा का एक्स-रे हेतु सलाह दिया गया था। उक्त चोट किसी सख्त व बोथरे हथियार द्वारा आ सकती है। उक्त चोट बोन इंजुरी होने की वजह से ग्रीवेसी नेचर है। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को पारवन्ताबाई के बाईं भुजा का एम.एल.सी. एक्स-रे प्लेट

क्रमांक 910 का परीक्षण कर रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में पारवन्ताबाई मेरावी के बाईं भुजा ह्यूमरस हड्डी के सेफ्ट में अस्थिभंग होना पाया था, जिसपर कोई केलश जमा नहीं था। उक्त चोट उसकी जांच के 06 घंटे के भीतर की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चोट क्रमांक 01 कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है।

13— साक्षी प्रेमलता अ.सा.05 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 08.09.2014 को दोपहर 3:00 बजे वह उकवा से बैहर बस क्रमांक एम.पी.50पी.0293 में बैठकर आ रही थी, जिसमें बैहर की पारवता भी बैठकर आ रही थी, जो कमलनगर बैहर के पास बस को रोकने के लिये खड़ी हो गई थी, तभी बस ड्राइवर कैलाश राउत ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही से अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे पारवताबाई के हाथ में चोट आ गई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

14— साक्षी मनोज बनवाले अ.सा.07 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना कुछ वर्ष पूर्व दिन के लगभग 2—2.30 बजे कमल नगर बैहर के पास की है। घटना के समय वह नारायण बस में बैठकर आ रहा था। बस में एक मेडम उकवा से सवार थी। कमल नगर के पास मेडम बस से उतरने के लिये उठी तो हाथ सीट में फंसने के कारण अनियंत्रित होकर गिर गयी और उन्हें चोट आयी। फिर उन्हें ईलाज के लिये बैहर अस्पताल भेज दिया गया। घटना के समय वाहन सामान्य गति से चल रहा था तथा मेडम स्वयं की गलती के कारण चोटग्रस्त हो गयी। पुलिस ने उसके समक्ष मेडम से टिकिट जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.10 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। पुलिस ने ड्रायवर से उक्त बस क्रमांक एम.पी.50.पी.0293 मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन को तेज रफ्तार, लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से चलाया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे, मेडम अपनी स्वयं की गलती से सीट में हाथ फंसने के कारण चोटिल हो गयी थी, तथा आरोपी वाहन को तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक नहीं चला रहा था।

15— साक्षी मंजुलाल अ.सा.06 ने कहा है कि वह दिनांक 08.09.2014 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी पारवंताबाई द्वारा थाने आकर मौखिक शिकायत दर्ज कराने पर उसके द्वारा नारायण बस क्रमांक एम.पी.50.पी.0293 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 137/14 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. तथा मो.व्ही. एक्ट की धारा-184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 दर्ज की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान दिनांक 09.09.2014 को उसके द्वारा घटनास्थल जाकर प्रार्थिया पारवंताबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थिया पारवंताबाई एवं दिनांक 10.09.2014 को गवाह मनोज एवं अजहर तथा दिनांक 24.09.2014 को थानसिंह एवं प्रेमलता के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 10.09.2014 को उसके द्वारा प्रार्थिया पारवंताबाई द्वारा पेश करने पर नारायण बस का समनापुर से बैहर का टिकिट जिसमें परिचालक का हस्ताक्षर है जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी द्वारा थाना लाकर पेश

करने पर नारायण बस क्रमांक एम.पी.50पी.0493 मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन परीक्षण परीक्षणकर्ता जहुर खान से करवाया गया था। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता जहुर खान के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

16— साक्षी मंजुलाल अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्र.पी.03 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय प्रार्थिया पारवंताबाई के साथ हमराह में कोई नहीं आये थे वह अकेले ही आयी थी। यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.03 का प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने प्रार्थिया के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिया है। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 में प्रार्थिया पारवंताबाई के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं लिया है। यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.04 तैयार करते समय वह मौके पर नहीं गया था, इसलिये कोई स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं करवाया है। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर प्रार्थिया के अलावा अन्य कोई उपस्थित नहीं थे, इसलिये अन्य किसी स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं लिये थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.04 का मौका-नक्शा मौके पर न जाकर थोन में ही तैयार किया था, प्रार्थिया पारवंतबाई के कथन प्र.पी.05 उसके बताये अनुसार नहीं अपने मन से लेख कर लिया है, प्र.पी.05 के ए से ए भाग का कथन उसे प्रार्थिया पारवंताबाई ने नहीं दिया था, साक्षी अजहर के कथन प्र.पी.02 एवं साक्षी भानसिंह के कथन प्र.पी.06, साक्षी प्रेमलता के कथन प्र.पी.09, तथा साक्षी मनोज के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था, जप्ती पत्रक प्र.पी.10 में जप्त टिकिट प्रार्थिया के द्वारा पेश करने पर जप्त नहीं किया था, बल्कि नारायण बस के परिचालक से दबाव देकर पृथक से प्राप्त किया है, प्र.पी.11 का मैकेनिकल परीक्षण चालक जहुर खान द्वारा वाहन जप्त करने के समय नहीं बल्कि पृथक से तैयार कर पेश किया गया है, प्र.पी.11 का परीक्षण

रिपोर्ट जहुर खान के हस्तलिपि में नहीं है और ना ही उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा यह अस्वीकार किया है कि वह प्रकरण में संपूर्ण विवेचना प्रार्थिया से मिलकर झूठी किया है।

17— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुर्घटना में आहत पारवंताबाई को चोटें आई थी, परन्तु उक्त चोट अभियुक्त के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण आचरण से कारित हुई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना की आहत पारवंताबाई अ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह कमलनगर में उतरने हेतु अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो गई थी और ब्रेक मारने पर सीट से टकरा गई, परन्तु चालक ने बस रोकने हेतु सामान्यतः ही ब्रेक मारा था। जबकि वाहन पर सवार टिकिट चेकर मनोज बनवाले अ.सा.07 ने स्वयं आहत की गलती के कारण घटना होने के कथन किये हैं। यदि साक्षी मनोज अ.सा.07 की साक्ष्य आरोपी से हितबद्ध होने के कारण पूर्णतः खारिज भी की जाये, तब भी स्वयं परिवादी पारवंताबाई द्वारा आरोपी के किसी विशिष्ट उपेक्षा अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है। यद्यपि आपराधिक दायित्व का योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता, तथापि साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल उपधारणा भी नहीं की जा सकती। फलतः अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर बस क्रमांक एम.पी.50पी.0293 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आहत पारवंताबाई के बांये हाथ में चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया था। अतः अभियुक्त कैलाश राउत को भा.दं०सं० की धारा-279, 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन नारायण बस क्रमांक एम.पी.50पी.0293 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात

वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

20— आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जाफौ का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)